सैंट जोसफ एकाडेमी, ज्वाला नगर,
शाहदरा, दिल्ली-32

विषय/:- बिना अनुदान मान्यता

आप को सूचित किया जाता है कि दिल्ली नगर निगम ने अपने निर्णय संख्या 1586/जी0डब्लयू/कार्पोरेशन दिनांक 9/11/81 के द्वारा आप के विद्यालय की दिनांक 1/5/81 से 30/4/82 तक बिना अनुदान मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करना स्वीकृत कर दिया है:-

1) दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम/नियम 1973 का दृढ़ता से पालन करना होगा ।

✓ 2) शिक्षा अधिकारी तथा प्रबन्धक के सम्मिलित खाते में रु0 2500/- सुरक्षित राशि जमा करानी होगी ।

✓ 3) विद्यालय में नियुक्ति/सेवा मुक्ति विभाग की पूर्व स्वीकृति तथा प्रक्रिया अपना कर करनी होगी ।

✓ 4) विद्यालय के लेखे जोखे की जांच शिक्षा अधिकारी अथवा उन के द्वारा मनोनीत अधिकारी किसी भी समय कर सकते हैं ।

5) विभागीय आदेशों/निर्देशों का पालन दृढ़ता से करना होगा ।

✓ 6) कर्मचारियों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम/नियम 1973 की धारा 10 एवं 125 के अनुसार वेतन, भत्ते तथा अन्य सभी सुविधाएं प्रदान करनी होगी ।

7) उपरोक्त शर्तों में ढिलायी पायी जाने पर विद्यालय की मान्यता नियमानुसार रद्द की जा सकती है ।

भवदीय,

सहायक मुख्य लेखापाल (शि0)